INTERNATIONAL JOURNAL OF ENHANCED RESEARCH IN MANAGEMENT AND COMPUTER APPLICATIONS
VOL. 1, ISSUE 2, NOV. 2012 ISSN NO: 2319-7471

दहेज प्रथा - एक सामाजिक अभिशाप

डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट (अल्मोड़ा), उत्तराखण्ड

परिचय

भारतीय समाज जिस समस्या से अभी भी जूझ रहा है वह है दहेज पर आधारित महिलाओं के प्रति क्रूरता; भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की जड़ दहेज की मांग पर है। दहेज किसी भी परिवार में हो सकता है, अमीर, पूंजीपति, गरीब, शिक्षित या अशिक्षित में कोई अंतर नहीं है। जब शादी तय हो जाती है तो किसी को चिंता नहीं होती कि लड़की कितनी चतुर, बुद्धिमान और घरेलू है, लेकिन बस इतना ही मायने रखता है कि उसे पति के घर में कितना पैसा और विलासिता मिलेगी। समय बीतने के साथ दहेज भारतीय समाज में एक प्रथागत हिस्सा बन गया और एक महिला से शादी करने के लिए दहेज की मांग करना उनके अधिकार के रूप में बन गया, और धीरे-धीरे दहेज महिलाओं के लिए हिंसा बन गया जब दूल्हे के परिवार को पर्याप्त दहेज नहीं मिला, जिससे उत्पीड़न हुआ या विशेष रूप से भारत के कुछ हिस्सों में दुल्हनों की क्रूरता और दहेज हत्याएं भी। दहेज की मांग महिलाओं के जीवन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करती है।

दहेज निषेध अधिनियम 1961की धारा 2 के तहत दहेज की परिभाषा के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दहेज एक संपत्ति है जो महिला अपने पति को शादी में लाती है और इसमें जमीन, सभी प्रकार की संपत्तियां, मूल्यवान प्रतिभूतियां दी जाती हैं या देने के लिए सहमत होती हैं। विवाह के समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। दहेज शब्द में शादी के खर्च का पुनर्भुगतान शामिल नहीं है।

दहेज प्रथा के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव समग्र रूप से समाज के लिए विनाशकारी हैं। व्यवस्था ने महिलाओं को एक वस्तु और धन का स्रोत बना दिया। दहेज का भुगतान करने पर भी, ज्यादातर मामलों में, दुल्हन को उसके ससुराल वालों द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि अधिक दहेज की उनकी मांग अंतहीन हो जाती है। इस यातना के परिणामस्वरूप आमतौर पर दुल्हन की आत्महत्या या हत्या होती है।

भारत में दहेज प्रथा अभी भी कायम है इसका कारण यह नहीं है कि इसके खिलाफ कानून लागू करना मुश्किल है या दूल्हे का परिवार बहुत मांग कर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि दुल्हन का परिवार इसे झेल रहा है। दहेज के नकारात्मक परिणामों और इससे होने वाली समस्याओं के बारे में व्यापक जागरूकता के बावजूद, इसे अभी भी दुल्हन के लिए खुशी खरीदने के तरीके के रूप में देखा जाता है। कई परिवारों का मानना है कि बड़ा दहेज देने से दूल्हे के परिवार द्वारा बेटी का बेहतर इलाज हो जाएगा। इसने समस्या को और बढ़ा दिया है क्योंकि दहेज का स्तर ऊंचा हो गया था और विवाह इस बात पर निर्भर था कि दुल्हन का परिवार दहेज के उस मानक को पूरा कर सकता है या नहीं।

उद्देश्य :-

इस शोध पत्र में दहेज से होने वाली मौतों के उपद्रव को कम करने, खामियों को उजागर करने और कानूनी व्यवस्था और समाज में इसकी बेहतरी के साथ-साथ भारतीय कानूनी प्रणाली द्वारा अनुकूलित और अपनाया गया कानूनी प्रावधानों की जांच और मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। उपलब्ध उपायों के साथ-साथ इस तरह के उपायों को आगे कैसे बढ़ाया जाए ताकि वास्तव में पीड़ित पक्ष के लिए फायदेमंद हो।

अनुसंधान क्रियाविधि :-

इस शोध के लिए अपनाई गई पद्धति सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक अध्ययन में दहेज पर केस कानून और महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए कानून बनाने में विभिन्न मामलों द्वारा निभाई गई भूमिका शामिल है। पत्र विभिन्न शोध पत्रों और पत्रिकाओं से प्रेरित है। भारत में दहेज मृत्यु और दहेज प्रथा से अधिकांश प्रेरणा ली गई है - देव रायजादा द्वारा शोध पत्र। लिए गए आंकड़े सटीक हैं और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

साहित्य की समीक्षा :-

एक महत्वपूर्ण योगदान राजारमन (1983) का है जिन्होंने पिछले 2-3 दशकों में दुल्हन की कीमत को दहेज में एक राष्ट्रव्यापी घटना के रूप में बदलने का विश्लेषण किया। उनका मुख्य तर्क यह है कि एक दहेज प्रणाली जो केवल परिवार की आय में महिला योगदान में गिरावट के कारण दुल्हन मूल्य प्रणाली से विकसित होती है, बिना किसी अन्य समानांतर विकास के, एक दंडात्मक घटना होगी, जो कि व्यवस्था की जगह से अधिक नहीं होगी। यह निश्चित रूप से एक अधूरा विश्लेषण है क्योंकि यह दहेज की मुद्रास्फीति पर प्रकाश नहीं डालता है।

देवलालीकर और राव (1990) द्वारा एकत्र किए गए मैरिज रिकॉल डेटा के आधार पर एक व्यावहारिक योगदान में, दुल्हन के चयन और दहेज विनिमय के आर्थिक मॉडल में दहेज और दुल्हन के लिए दूल्हे के परिवारों की मांग का अनुमान लगाएं। वे रिपोर्ट करते हैं कि दूल्हे और दुल्हन न केवल व्यक्तिगत लक्षणों से मेल खाते हैं, बल्कि भारत की व्यवस्थित विवाह प्रणाली के अनुरूप, घरेलू विशेषताओं से भी मेल खाते हैं। इसके अलावा, उन्होंने पाया कि दूल्हे के माता-पिता के घर की संपत्ति में दहेज अधिक होता है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं से दहेज के स्तर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने यह भी देखा कि समय के साथ दहेज हस्तांतरण के वास्तविक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

राजारामन के (1983) के तर्क पर विवाद करते हुए कि सापेक्ष महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर में कमी का दहेज पर प्रभाव पड़ा है। विवाह से पहले प्रत्येक पति या पत्नी के माता-पिता के स्वामित्व वाली भूमि में अंतर से शुद्ध दहेज में काफी कमी आती है। उम्र के अंतर का अनुमानित प्रभाव भी शून्य से काफी अलग नहीं है।

विवाह का दबाव मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में दहेज को बढ़ाने और पति-पत्नी के बीच उम्र के अंतर को कम करने के द्वारा प्रकट होता है। हालांकि, विवाह बाजार में महिलाओं की अधिकता को आमतौर पर वैवाहिक संसाधनों के वितरण को पुरुषों की ओर स्थानांतरित करना चाहिए।
एक 'विवाह बाजार' में एक संतुलन पर विचार करें जिसमें दूल्हे और दुल्हन का मिलान किया गया है ताकि पुरुष छोटी महिलाओं से शादी कर सकें। मान लीजिए कि जनसंख्या वृद्धि की दर में बहिर्जात वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप विवाह बाजार में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। चूंकि ये अतिरिक्त महिलाएं एक छोटे समूह से आती हैं, इसलिए संभावित दुल्हनों की औसत आयु कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप दुर्लभ दूल्हों के लिए और प्रतिस्पर्धा होती है जो दहेज में ऊपर की ओर बदलाव को प्रेरित करती है।

इस प्रकार, विवाह निचोड़, जल्दी, सार्वभौमिक और एकांगी विवाह के लिए मजबूत वरीयता के संयोजन में, योग्य दूल्हों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। भले ही महिलाओं की शादी में औसत आयु में वृद्धि के माध्यम से विवाह की समस्या का समाधान इस अर्थ में किया जाता है कि लगभग सभी महिलाओं और पुरुषों को एक साथी मिल जाता है, उम्र के अंतर में समायोजन से जुड़े दबाव के कारण दहेज में वृद्धि होती है।

विवाह-निचोड़ अनुपात नकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से उम्र के अंतर से जुड़ा हुआ है जो इंगित करता है कि महिलाओं की शादी पुरुषों की उम्र के करीब होती है, जिसमें अधिक विवाह निचोड़ होता है।इसके अलावा, विवाह से पहले प्रत्येक पति या पत्नी के माता-पिता के स्वामित्व वाली भूमि में अंतर से शुद्ध दहेज में काफी कमी आती है। जिला आयु अनुपात जो विवाह के दबाव की सीमा का एक सूचकांक है, शुद्ध वास्तविक दहेज में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में, दहेज समारोह के अनुमान इस परिकल्पना के समर्थन में सबूत प्रदान करते हैं कि वास्तविक शुद्ध दहेज हस्तांतरण में वृद्धि, विवाह बाजार में महिलाओं के अधिशेष द्वारा जनसंख्या वृद्धि के कारण लाए गए विवाह निचोड़ से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुई है। जीवनसाथी के माता-पिता की संपत्ति एक महत्वपूर्ण गुण है और एक मैच का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है। क्षेत्रों में उत्तर की ओर अधिक दहेज औसतन अधिक प्रतीत होते हैं।

दहेज मृत्यु संबंधित कानून :-

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के तहत और भारत के राष्ट्रपति द्वारा दहेज हत्या के मामलों और क्रूरता से निपटने के लिए शादीशुदा महिला।

आईपीसी धारा 304-बी :-

जब एक विवाहित महिला का निधन किसी भी उपभोग या पर्याप्त क्षति के कारण होता है या उसके विवाह काल के सात वर्षों के भीतर अनियमित या संदिग्ध परिस्थितियों में होता है और यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उसकी मृत्यु के तुरंत पहले उसे ठंडे खून का शिकार किया गया था या उसके जीवनसाथी या उसके पति या पत्नी के किसी रिश्तेदार या ससुराल वालों द्वारा, या निपटान के लिए किसी भी हित के साथ बदतमीजी या पीड़ा, इस तरह के पारित होने को "निपटान पासिंग" कहा जाना चाहिए, और ऐसे पति या पत्नी या रिश्तेदार या ससुराल वालों को सम्मानित किया जाता है उसकी मौत का कारण बना। जो कोई भी एंडोमेंट पासिंग प्रदान करता है, उसे कम से कम सात साल की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, जो हमेशा के लिए नजरबंदी तक पहुंच सकता है।

I.P.C की धारा 304 - B इस प्रकार हैं :-

1. जब महिला की मृत्यु असामान्य और संदिग्ध परिस्थितियों में जलने या किसी अन्य शारीरिक चोट के कारण हुई हो
2. शादी के 7 साल के अंदरमौत दहेज की मांग को लेकर हुई है।
3. यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती, गैर-शमनीय अपराध है।

राजा लाल सिंह बनाम झारखंड राज्य के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उनकी मृत्यु से ठीक पहले की अवधि आईपीसी की धारा 304-बी में दी गई है। एक बहुत ही लचीली अभिव्यक्ति है, इसकी व्याख्या उसकी मृत्यु से तुरंत पहले या उसकी मृत्यु से पहले उचित समय के भीतर की जा सकती है। यहां जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि दहेज की मांग को लेकर महिला की मौत और उसके साथ हुए उत्पीड़न के बीच एक सराहनीय संबंध होना चाहिए।
यदि विवाह के 7 वर्ष के भीतर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और दहेज की मांग नहीं की जाती है और पति और उसके परिवार की ओर से भी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है, तो पति और उसके परिवार को धारा के तहत उत्तरदायी और आरोपित नहीं किया जा सकता है मेका रामास्वामी बनाम दसारी मोहन और अन्यके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित आईपीसी के 304 बी।

हालांकि, भगवान दास बनाम करतार सिंह और अन्यके मामले में यह माना गया था कि अगर दहेज की मांग के संबंध में महिला को मार दिया जाता है या आत्महत्या कर ली जाती है और यह उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले होता है तो आईपीसी की धारा 304 बी। आह्वान किया जा सकता है।

आईपीसी धारा 498-ए :-

यह खंड पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिलाओं के प्रति क्रूरता के बारे में बोलता है। जो कोई भी पति या पत्नी या किसी महिला के ससुराल पक्ष के रिश्तेदार होते हुए, ऐसी महिला को ठंडे खून या उत्तेजना या पीड़ा के अधीन करता है, उसे इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स स्पेशल इश्यू 1685 के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, जो पहुंच सकता है तीन साल तक और जुर्माना देना होगा। निर्दयता या तो मानसिक या फिर शारीरिक पीड़ा हो सकती है जो महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है या वास्तविक क्षति का कारण बनती है, या दूसरी ओर जीवन या भलाई के लिए खतरा है।

I.P.C की धारा 498 - A की सामग्री इस प्रकार हैं :-

1. महिला विवाहित महिला होनी चाहिए।
2. विवाहित महिला को क्रूरता या उत्पीड़न का विषय होना चाहिए।
3. उत्पीड़न या क्रूरता पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा की जानी चाहिए
4. पति या पति के रिश्तेदारों की ओर से मेन्स री होना चाहिए।
5. यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती, गैर-शमनीय अपराध है।

बलवंत सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्यके मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा कि जो व्यक्ति आईपीसी की धारा 304-बी के तहत बरी हुआ है। I.P.C की धारा 498 - A केतहत भी दोषी ठहराया जा सकता है। I.P.C के दोनों वर्गों के रूप में। पारस्परिक रूप से समावेशी के रूप में आयोजित नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा मृतक को न्याय देने और देश की कानूनी व्यवस्था में समाज के विश्वास को मजबूत करने के लिए पवन कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्यके मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी की मृत्यु हो गई शादी के 7 साल के भीतर, जो आत्महत्याकरके दहेज हत्या का परिणाम है, फिर आईपीसी की धारा 304 - बी और आईपीसी की धारा 498 - ए के साथ। आरोपी को आईपीसी की धारा 306 के तहत भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। (जिसे आत्महत्या के प्रयास के लिए उकसाना कहते हैं) क्योंकि आरोपी के इलाज ने पत्नी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया।

आईईए धारा 113-ए :-

यह खंड एक विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के अनुमान से संबंधित है। जब पूछताछ की जाती है कि क्या महिला द्वारा आत्महत्या करने के लिए उसकी पत्नी या उसके किसी रिश्तेदार ने उकसाया था और यह प्रदर्शित किया जाता है कि उसने तारीख से सात के समय के भीतर आत्महत्या की थी। उसकी देखरेख और उसके पति या पत्नी या उसके बेहतर आधे के ऐसे रिश्तेदार ने बेरहमी का शिकार किया था, अदालत यह मान सकती है कि मामले की विभिन्न स्थितियों का सम्मान करते हुए, इस तरह की आत्महत्या उसके बेहतर आधे या उसके बेहतर के ऐसे रिश्तेदार द्वारा की गई थी आधा।

आईईए धारा 113-बी :-

यह खंड दहेज हत्या के अनुमान से संबंधित है। जब यह पूछताछ की जाती है कि क्या किसी पुरुष ने किसी महिला को अंशदान दिया है और यह प्रदर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले, ऐसी महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी भी हित के लिए या उसके सहयोग से, पश्चाताप या उत्तेजना के अधीन किया गया था। बंदोबस्ती, अदालत यह मान सकती है कि ऐसे व्यक्ति ने शेयर पासिंग का कारण बना।
इस खंड का संघटक I.P.C . की धारा 304-बी के अवयवों की पूर्ति है।

कामेश पंजियार उर्फ कमलेश पंजियार बनाम बिहार राज्यमें कोर्ट ने कहा कि यदि आई.ई.ए. और I.P.C की धारा 304 - B. तो अदालत के सामने कुछ सबूत पेश करने होंगे जिसमें कहा गया हो कि दहेज हत्या के मामले में आरोपी को दंडित करने के लिए पति या पति के रिश्तेदारों की ओर से पत्नी के साथ क्रूरता और उत्पीड़न किया गया है।

हालांकि, शाम लाल बनाम हरियाणा राज्यके मामले में कहा गया था कि पति को आईपीसी की धारा 304-बी के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। और आई.ई.ए. की धारा 113 - बी भी। यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उत्पीड़न और क्रूरता का कोई सबूत नहीं है, तो उसे नहीं उठाया जा सकता है।
इसी तरह, हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्यमें अदालत ने माना कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि पत्नी द्वारा खाया गया जहर पति द्वारा किसी क्रूरता या उत्पीड़न का परिणाम था, इसलिए पति को धारा 304 के तहत बरी कर दिया गया। आईपीसी के बी और आई.ई.ए. की धारा 113 - बी के प्रावधान। उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 :-

देश में दहेज के मामलों के पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए संपूर्ण दहेज निषेध अधिनियम, 1961 तैयार, सुसज्जित और विकसित किया गया है। दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से महिला के कष्टों की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संपूर्ण अधिनियम पूरी तरह से पूरा करता है।
इसमें कुल 10 खंड हैं जिनमें से प्रत्येक खंड के शीर्षक निम्नलिखित हैं:
धारा 1 - संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ
धारा 2 दहेज की परिभाषा
धारा 3 दहेज देने या लेने के लिए दंड
धारा 4 दहेज मांगने पर जुर्माना

धारा 4ए विज्ञापन पर प्रतिबंध
धारा 5 दहेज देने या लेने का करार शून्य होना
धारा 6 दहेज पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना चाहिए
धारा 7 अपराध का संज्ञान
धारा 8 - कुछ उद्देश्यों के लिए अपराध संज्ञेय होना और गैर-जमानती और गैर-शमनीय होना
धारा 8ए - कुछ मामलों में सबूत का बोझ
धारा 8बी - दहेज निषेध अधिकारी
धारा 9 नियम बनाने की शक्ति
धारा 10 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

जैसा कि देखा जा सकता है कि दहेज पीड़ितों की स्थिति को बचाने और बढ़ाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों और कानून के हितों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है, जो उन्हें मौत, आत्महत्या, उत्पीड़न या क्रूरता की ओर ले जा सकता है।

यह समझा जाता है कि दहेज शब्द एक सामाजिक बुराई है, लेकिन जैसा कि डी.पी. की धारा 6 में देखा जा सकता है। अधिनियम जो दहेज को पत्नी या उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए कहता है, यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि दहेज केवल उसके माता-पिता या उसके माता-पिता के परिवार द्वारा दी गई संपत्ति का एक योग है (चाहे वह धन हो या कोई अन्य संपत्ति) एक महिला के सामाजिक और वित्तीय हितों की रक्षा के लिए प्यार और स्नेह और जो सामाजिक बुराई नहीं है। वास्तव में सामाजिक बुराई पति या उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग है, जिसका सामना पत्नी और उसके परिवार को करना पड़ता है।

साबित्री देई और अन्य बनाम शरत चंद्र राउत और अन्यके मामले में शीर्ष अदालत ने सक्षम सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया और पति और उसके रिश्तेदार को आईपीसी की धारा 498 ए / धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया। और डी.पी. की धारा 4 के तहत। कार्य। इसी तरह, प्रेमानंद साहू बनाम उड़ीसा राज्यके मामले में सक्षम सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ आपराधिक अपील का निर्देश दिया गया था।
सुरेश कुमार सिंह बनाम यूपी राज्य के ऐतिहासिक फैसले में।शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिखाया गया दहेज की मांग का सबूत महिला की मृत्यु से बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग का औचित्य और पीड़िता की मौत के तुरंत पहले की अभिव्यक्ति को जगाने के लिए स्थापित किया जाना चाहिए और आरोपी पर डी.पी. एक्ट भी।

आंकड़े :-

"दहेज के मामलों की संख्या बढ़ी" (द हिंदू, जनवरी 2008); "प्रेम विवाह के बाद दहेज मृत्यु" (द टाइम्स ऑफ इंडिया, अप्रैल 2008); "दहेज के लिए प्रताड़ित, शिक्षक जीवन समाप्त करता है" (द इंडियन एक्सप्रेस, नवंबर 2007)। भारत के तीन लोकप्रिय अखबारों की ये सिर्फ तीन सुर्खियां हैं जो दहेज प्रथा की दृढ़ता और आधुनिक भारत में इसके परिणामों को दर्शाती हैं। दहेज आज भी आधुनिक भारत में प्रचलित है, न केवल आबादी के निरक्षर वर्ग में, बल्कि भारत के प्रमुख महानगरों में शिक्षित अभिजात वर्ग में भी।आश्चर्यजनक रूप से पिछले एक दशक में दहेज से संबंधित अपराध के मामलों की संख्या वास्तव में बढ़ी है, बावजूद इसके कि भारतीय कानून द्वारा 1961 से दहेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2010 में ही कुल 8391 दहेज हत्याएं हुई थीं, जिसका अर्थ है कि दहेज संबंधी कारणों से हर 90 मिनट में एक दुल्हन की हत्या कर दी जाती है। 1988 में यह संख्या 2209 थी; 1990 में यह बढ़कर 4835 हो गया; 2000 में (कुछ दशक पहले), यह संख्या 6995 थी, और 2007 में यह आश्चर्यजनक रूप से 8093 तक चढ़ गई।

अन्य सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में हर साल कुछ सौ दहेज हत्याएं दर्ज होती हैं, जबकि महिला अधिकार समूहों का अनुमान है कि यह संख्या 900 प्रति वर्ष है। यह 1990 के दशक की संख्या की तुलना में एक अभूतपूर्व वृद्धि है, जो प्रति वर्ष लगभग 300 थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ आधिकारिक रिकॉर्ड हैं, और इस प्रकार बेहद कम रिपोर्ट किए जाते हैं। महिलाओं के जलने के 90% मामले दुर्घटना के रूप में दर्ज होते हैं, 5%

आत्महत्या के रूप में, और शेष 5% मामलों को हत्या के रूप में दिखाया जाता है। ये चौंकाने वाली उच्च संख्या भारत में दहेज से संबंधित अपराधों और मौतों में निरंतर वृद्धि को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

बीतते वर्षों के साथ भारत में दहेज से संबंधित मौतों के मामले धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। साथ ही, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के प्रति क्रूरता के मामले बढ़ रहे हैं जो प्रमुख रूप से दहेज की मांग और पत्नी द्वारा इसे पूरा करने में असमर्थता के कारण होता है।

दुनिया में दहेज हत्या के सबसे ज्यादा मामले भारत में हैं। महिलाओं को इस क्रूर कृत्य से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों के साथ एक और ज्वलंत मुद्दा यह है कि पत्नी या उसके परिवार द्वारा पति या उसके परिवार को परेशान करने और ब्लैकमेल करने के लिए उन्हीं कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निपटने की भी जरूरत है।

विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया है कि पिछले कुछ दशकों में, भारत के गाँवों में दहेज प्रथा काफ़ी हद तक स्थिर रही है. लेकिन ये प्रथा बदस्तूर जारी है।शोधकर्ताओं ने 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का अध्ययन किया है, उन्होंने पाया है कि 95% शादियों में दहेज दिया गया, जबकि 1961 से भारत में इसे ग़ैर-क़ानूनी घोषित किया जा चुका है.दहेज के कारण कई बार महिलओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है और कई बार तो मौत भी हो जाती है।

दक्षिण एशिया में दहेज लेना और देना शताब्दियों पुरानी प्रथा है, जिसमें दुल्हन के परिजन पैसा, कपड़े, गहने आदि दूल्हे के परिजनों को देते हैं.यह शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है, जहाँ पर भारत की 96% आबादी रहती है। इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, जहाँ भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है।अर्थशास्त्री एस अनुकृति, निशीथ प्रकाश और सुंगोह क्वोन ने पैसे और सामान जैसे तोहफ़ों की क़ीमत की जानकारियाँ जुटाई हैं, जो शादी के दौरान दी या ली गईउन्होंने 'कुल दहेज' का आकलन किया है इसके लिए उन्होंने दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे या उसके परिवार को दिए गए तोहफ़ों की रक़म और दूल्हे के परिवार से दुल्हन के परिवार को दी गई रक़म के बीच अंतर निकाला है।

उन्होंने पाया कि 1975 से पहले और 2000 के बाद मुद्रा स्फ़ीति के कारण कुल दहेज का औसत 'उल्लेखनीय रूप से स्थिर' था.शोधकर्ताओं ने पाया है कि दूल्हे के परिवार ने दूल्हन के परिवार के लिए उपहारों में औसतन 5,000 रुपए ख़र्च किएदुल्हन के परिवार की ओर से आश्चर्यजनक रूप से दूल्हे के परिवार को दी गई तोहफ़ों की रक़म सात गुना थी, यानी यह तक़रीबन 32,000 रुपए की रक़म थी इसका अर्थ हुआ है कि औसतन वास्तविक दहेज 27,000 रुपए के क़रीब था।दहेज में परिवार की बचत और आय का एक बड़ा हिस्सा ख़र्च होता है: 2007 में ग्रामीण भारत में कुल दहेज वार्षिक घरेलू आय का 14% था। वर्ल्ड बैंक रिसर्च ग्रुप की अर्थशास्त्री डॉक्टर अनुकृति कहती हैं, "आय के हिस्से के रूप में, ग्रामीण भारत में औसत आय बढ़ने के साथ दहेज कम हुआ है।" वो कहती हैं, "लेकिन यह केवल एक औसत दावा है जबकि दहेज कितना बड़ा है, इसकी गणना हर परिवार की अलग-अलग आय से ही पता चल सकती है. हमें घरेलू आय या व्यय पर आँकड़े की आवश्यकता होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।"

भारत में शादियाँ :-

- भारत में लगभग सभी विवाह मोनोगमस (यानी एक स्त्री से विवाह) होते हैं.
- एक प्रतिशत से भी कम मामलों में तलाक़ की नौबत आती है.
- वर/वधू चुनने में माता-पिता की अहम भूमिका होती है. 1960 से 2005 के बीच 90% से अधिक शादियों में माता-पिता ने अपने बच्चों के लिए जीवनसाथी चुना.
- 90% से अधिक जोड़े शादी के बाद पति के परिवार के साथ रहते हैं.
- 85% से अधिक महिलाएँ अपने गाँव से बाहर, किसी से शादी करती हैं.
- 78.3% शादियाँ अपने ही ज़िले में होती हैं.

भारत में साल 2008 से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है. लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि दहेज भुगतान के रुझान या पैटर्न में किसी परिवर्तन के संकेत नहीं हैं. क्योंकि आज भी शादी के बाज़ार को प्रभावित करने वाले कारकों में कोई ढाँचागत परिवर्तन नहीं आया है.

- सभी धर्मों में दहेज प्रथा प्रचलित
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारत में सभी प्रमुख धर्मों में दहेज प्रथा प्रचलित है. दिलचस्प बात यह है कि ईसाइयों और सिखों में 'दहेज में ज़बरदस्त वृद्धि' देखी गई. इन समुदायों में हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में औसत दहेज में बढ़ोतरी हुई है.
- एक और दिलचस्प बात ये पता चली कि वक़्त के साथ अलग-अलग राज्यों में काफ़ी अंतर आया.

अध्ययन में पाया गया कि दक्षिणी राज्य केरल ने 1970 के दशक से 'दहेज में बढ़ोतरी' दिखाई और हाल के वर्षों में भी वहाँ दहेज की औसत सर्वाधिक रही है.

हरियाणा, पंजाब और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भी दहेज में बढ़ोतरी दर्ज की गई. दूसरी ओर, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में औसत दहेज में कमी आई है.

डॉ. अनुकृति ने कहा, "राज्यों में दहेज को लेकर इस अंतर के बारे में हमारे पास निश्चित जवाब नहीं हैं. हम भविष्य के शोध में इस सवाल का पता लगाने की उम्मीद करते हैं."

जनवरी में प्रकाशित एक पेपर में, अर्थशास्त्री गौरव चिपलुणकर और जेफ़्री वीवर ने पिछली सदी में भारत में 74,000 से अधिक शादियों के आँकड़ों का इस्तेमाल करके ये बताया कि दहेज प्रथा वक़्त के साथ-साथ कैसे आगे बढ़ी है.

शोधकर्ताओं ने पाया कि 1930 से 1975 के बीच शादियाँ और दहेज की पेमेंट दोगुनी बढ़ गई और दहेज का औसत वास्तविक मूल्य, तीन गुना बढ़ गया. लेकिन 1975 के बाद औसत दहेज में गिरावट आई.

उन्होंने अनुमान लगाया कि 1950 और 1999 के बीच भारत में दहेज भुगतान का कुल मूल्य लगभग एक चौथाई ट्रिलियन डॉलर रहा.

भारत में दहेज की वैवाहिक प्रथा व्यापक रूप से फैली हुई है। दहेज दुल्हन की ओर से दूल्हे के पक्ष में धन का हस्तांतरण है। इसमें कपड़े, उपकरण, ऑटोमोबाइल, संपत्ति, आभूषण, पैसा, फर्नीचर आदि शामिल हैं। परंपरागत रूप से, इस तकनीक की स्थापना के कई कारण रहे हैं। यह दुल्हन के लिए एक प्रकार की विरासत थी, क्योंकि परिवार की सारी संपत्ति पुरुषों को विरासत में मिली थी। यदि पति के घर में कोई विपत्ति आती है तो यह दुल्हन के लिए सुरक्षा माना जाता था।

यह दूल्हे को शादी में अपनी पत्नी के रूप में दुल्हन को स्वीकार करने की इच्छा के लिए दूल्हे को सम्मानित करने की एक प्रणाली भी थी, और दिए गए उपहार कुछ भी महत्वपूर्ण से लेकर शुभकामनाओं के एक छोटे से टोकन तक भी हो सकते थे। हालाँकि, दहेज के लालच ने भारत में अधिकांश सामान्य परिवारों को प्रभावित किया है। यह खतरा एक विवाहित महिला के खिलाफ लगभग सभी हिंसा का मूल कारण है। ज्यादातर मामलों में शादी के बाद दहेज की समस्या पैदा होगी। यदि पत्नी वह सब देने के लिए तैयार नहीं है, जो उसका पति और ससुराल वाले मांगते हैं, तो दूल्हे के घर में उसका जीवन दयनीय हो जाता है। उसके साथ क्रूर व्यवहार किया जाएगा और कुछ मामलों में उसकी जान भी जा सकती है।

समस्या का समाधान -

दहेज प्रथा बन्द कैसे हो, इस प्रश्न का एक सीधा-सा उत्तर है-कानून से । लेकिन हम देख चुके हैं कि कानून से कुछ नहीं हो सकता । कानून 1961 लाग करने के लिए एक ईमानदार व्यवस्था की जरूरत है । इसके अतिरिक्त जब तक सशक्त गवाह और पैरवी करने वाले दूसरे लोग दिलचस्पी न लेंगे, पुलिस तथा अदालतें कुछ न कर सकेंगी । दहेज को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक चेतना आवश्यक है । कुछ गांवों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिस घर में बड़ी बारात आए या जो लोग बड़ी बारात ले जाएं उनके घर गांव का कोई निवासी बधाई देने नहीं जाता । दहेज के लोभी लड़के वालों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है।

दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे बुरी कुरीतियों मे से एक है जिसका निराकरण भी समाज के हित में जरूरी है। इसके लिए भारतीय दंड विधान संहिता के प्रावधानों के अलावे विशेष रूप से दहेज निषेध अधिनियम, लागू है जिसके अन्तर्गत प्रबंध निदेशक, राज्य महिला विकास निगम को राज्य दहेज निषेध पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को जिला दहेज निषेध पदाधिकारी घोषित किया गया है। हर माह में हरेक जिले के डी एम एवं एस पी को एक दिन दहेज विरोधी दरबार लगाने के साथ-साथ क्षेत्रान्तर्गत आयोजित विवाह समारोहों की सूचना संधारित की जानी है एवं दहेज निषेध अधिनियम के उल्लंघन की स्थिति में निकटतम थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों मे पंचायत स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर आयोजित विवाह समारोहों के रिकार्ड रखने के लिए बाजाब्ता प्रपत्र परिचालित हैं जिनमें वर-वधू को प्राप्त उपहारों की सूची बनाकर वर-वधू एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया जाना है। सरकार ने दहेज-निषेध पदाधिकारी को यह भी निर्देश दे रखा है कि दहेज-निषेध के कतिपए प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति की बाद में सूचना मिलने पर भी थाने में एक आई आर दर्ज करें। भारतीय दंड संहिता की धारा- 304 बी, 498 ए एवं दहेज निषेध अधिनियम की धारा- 3,4 एवं 6 (2) के अन्तर्गत थाने में दायर इन मुकदमों की पैरवी भी सरकारी स्तर से थाने से लेकर राज्य सरकार के स्तर तक समाज कल्याण विभाग को ही करना है।

नारी की आर्थिक स्वतन्त्रता- दहेज-प्रथा की विकटता को कम करने में नारी का आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होना भी बहुत हद तक सहायक होता है । अपने पैरों पर खड़ी युवती को दूसरे लोग अनाप-शनाप नहीं कह सकते । इसके अतिरिक्त चूंकि वह चौबीस घण्टे घर पर बन्द नहीं रहेगी, सास और ननदों की छींटा-कशी से काफी बची रहेगी । बहू के नाराज हो जाने से एक अच्छी-खासी आय हाथ से निकल जाने का भय भी उनका मुख बन्द किए रखेगा ।

निष्कर्ष

दहेज प्रथा हमारे समाज का कोढ है । यह प्रथा साबित करती है कि हमें अपने को सभ्य मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है । जिस समाज में दुल्हनों को प्यार की जगह यातना दी जाती है, वह समाज निश्चित रूप से सभ्यों का नहीं, नितान्त असभ्यों का समाज है । अब समय आ गया है कि हम इस कुरीति को समूल उखाड़ फेंके ।

जब एक महिला को उसके गुणों से स्वीकार नहीं किया जाता है, सिवाय इसके कि वह जो नकदी लाती है और जब वह दहेज लाती है तो वह सब कुछ हो जाता है और सभी लेन-देन समाप्त हो जाता है, विवाह सभी पवित्रता और उत्कृष्टता को खो देता है। दहेज जितनी जल्दी अतीत की बात हो जाए, हमारे समाज के लिए उतना ही अच्छा है।दहेज की मांग की समस्या केवल एक परिवार की नकदी और सामान की मांग नहीं है, जो दूसरे परिवार की क्षमता और देने की इच्छा से परे है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वित्तीय कारकों के परस्पर संबंध का सवाल है। जब कोई अलग-अलग महिलाओं और परिवारों की चौंकाने वाली कहानी पढ़ता है, तो एक नोटिस करता है कि समस्या की जड़ों के बारे में बहुत कम या नहीं और कभी-कभी कोई जागरूकता नहीं होती है या अभ्यास को रोकने और एक बहुत ही आवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती है।

इसे प्रचलित विशेष मूल्यों के आंतरिककरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो महिलाओं को हीन मानते हैं और केवल खुद को उनकी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार मानते हैं। यह शायद ही कभी उन्हें उत्पीड़न या सामाजिक रूप से प्रचलित यौन पूर्वाग्रहों के शिकार के रूप में देखता है। परंपरा का बोझ, पुरुष श्रेष्ठता की एक प्रचलित विचारधारा, असंवेदनशील पुलिस बल, और पुरातन न्यायपालिका और हिंसा को माफ करने वाला समाज आतंक का एक कक्ष बनाता है जहां फ़रिश्ते भी चलने से डरते हैं।

जैसा कि कहा जाता है कि जब भी प्रकाश होता है, तो छाया भी होती है, इसी प्रकार महिलाओं को न्याय दिलाने और दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए उनके सर्वोत्तम हित में, सहायता के लिए प्रदान किए गए कानूनों और प्रावधानों के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। उनकी रक्षा करें। इन प्रावधानों और अधिकारों का गलत तरीके से शोषण किया गया है और वह भी अब उचित समय के लिए हुआ है। यह उन कमियों में से एक है, जिन्हें दहेज के जघन्य अपराध से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन प्रावधानों को निर्धारित करने वाले समान कुलीन, विद्वान और बौद्धिक कानून निर्माताओं द्वारा सुधारने और सुधारने की आवश्यकता है।

संदर्भ :

[1]. बोटिसिनी, एम.,और सिओ, ए. (2003) 'दहेज क्यों?', द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू 93 (4):1385-1398।
[2]. जॉनसन, पी.एस.,और जॉनसन, जे.ए. (2001) 'भारत में महिलाओं का उत्पीड़न', हिंसामहिलाओं के खिलाफ 7 (9): 1051-1068।
[3]. विश्व बैंक (2001) अधिकारों में लैंगिक समानता के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना,संसाधन, और आवाज। न्यू योर्क, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।
[4]. विश्व बैंक (2011) विश्व विकास रिपोर्ट 2012: लैंगिक समानता और विकास।
[5]. वाशिंगटन, डीसी: द वर्ल्ड
[6]. भट, एम.पी.एन.,और हल्ली, एस.एस., की जनसांख्यिकी
[7]. वधू मूल्य और दहेज: कारण और परिणामभारतीय विवाह निचोड़। जनसंख्या अध्ययन, 53:2,129-148, 1999.
[8]. चंद्र, पॉल, दहेज और महिलाओं की स्थितिभारत, नई दिल्ली: इंटर-इंडिया प्रकाशन, 1986।
[9]. डालमिया, एस. और लॉरेंस, पी.जी., द इंस्टीट्यूशन ऑफभारत में दहेज: क्यों यह जारी है P] शर्मा, घरेलू हिंसा और महिला, जयपुर,मंगल दीप प्रकाशन, 1997।
[10]. उदय, वीर, महिलाओं के खिलाफ अपराध। नई दिल्ली: अनमोलप्रकाशन प्रा. लिमिटेड प्रिंट, 2004. फिर से आना।विकासशील क्षेत्रों के जर्नल, 38:2, 71-93, 2005।
[11]. (2001) 8 एससीसी 633; 2002 एससीसी (सीआरई) 48; एआईआर 2001 एससी 2828; मनु/एससी/0588/2001
[12]. (2007) 15 एससीसी 415; (2010) 3 एससीसी (सीआरआई) 539; आकाशवाणी 2007 एससी 2154; मनु/एससी/7622/2007
[13]. 1998 एससीसी (सीआरआई) 604; एआईआर 1998 एससी 774; मनु/एससी/0042/1998
[14]. (2007) 11 एससीसी 205; आकाशवाणी 2007 एससी 2045; मनु/एससी/2650/2007
[15]. (2008) 64 एआईसी 458; 2008 क्रिएलजे (एनओसी 339)97)
[16]. (2008) 13 एससीसी 233; (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 537); मनु/एससी/7907/2008
[17]. (2008)12 एससीसी 51; (2009) 1 एससीसी (सीआरई) 317; एआईआर 2008 एससी 982; मनु/एससी/0253/2008
[18]. सी. वीरुडु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य: (1988) 2 एपी एलजे 75; 1989 क्रिएलजे (एनओसी 52) 25)
[19]. (2008) 15 एससीसी 497; (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 1094; 2008 क्रिएलजे 4683; मनु/एससी/4359/2008
[20]. (1998) 3 एससीसी 309; 1998 एससीसी (सीआरई) 740; एआईआर 1998 एससी 958; मनु/एससी/0104/1998
[21]. लता के.एस; जनवरी 1998 में प्रकाशित कानून के दहेज मौत के निहितार्थ
[22]. (2005) 2 एससीसी 388; 2005 एससीसी (सीआरई) 511; आकाशवाणी 2005 एससी 785; मनु/एससी/0076/2005
[23]. (1997) 9 एससीसी 759; 1997 एससीसी (सीआरई) 759; एआईआर 1997 एससी 1873; मनु/एससी/0438/1997
[24]. (2006) 1 एससीसी 463; (2006) 1 एससीसी (सीआरआई) 417; एआईआर 2006 एससी 680; मनु/एससी/2287/2005
[25]. (1996) 3 एससीसी 301; मनु/एससी/1117/1996
[26]. (2008) 41 ओसीआर 558; मनु/या/0785/2008
[27]. (2009) 17 एससीसी 243; (2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 989; मनु/एससी/0953/2009